SHRI SATISH AGARWAL: Sir, the Question Hour is over.

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

Composition of the Indian contingent for the Atlanta Olympics

*42. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of athletes proposed to be sent from the country to the Olympic Games at Altanta and the distribution of this number in terms of events to be participated in:

(b) the number of officials accompanying the participants; and

(c) the total grant from Government for covering the travelling and other expenses of the Olympic contigent?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) and (b) The Government has cleared 33 Sportspersons and 13 Officials as per details given below:

	Sports Persons	Officials
1. Archery	1	1
2. Badminton	2	-
3. Boxing	3	1
4. Hockey	16	4
5. Judo	3	1
6. Shooting	2	2
7. Table Tennis	2	-
8. Tennis	2	-
9. Weightlifting	2	1
10. IOA Officials	—	3
	33	13

(c) It is estimated that the total expenditure on travelling and other expenses of the Olympic Contigent shall be about Rs. 31.27 lakhs.

सरकारी कर्मचारियों के लिये मकानों का निमार्ण

*43. श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण करने हेतु कोई राष्ट्रीय-नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये बनाये गये मकानों का श्रेणी-वार तथा टाइप-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ यू वेंकटस्वरलु): (क) से (ग) 1994 की राष्ट्रीय आवास नीति में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये मकान बनाने हेतु कोई अलग प्रावधान नहीं है। तथापि, कल्याणकारी उपाय के रूप में, केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण करती आ रही है। मकान निर्माण स्कीमें साल-दर-साल धन सुलभ होने के आधार पर बनाई तथा मंजूर की जाती हैं। राष्ट्रीय आवास नीति में सरकार की भूमिका "प्रदाता" या "निर्माता" की बजाय मददगार की रखी गई है।

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान निर्मित श्रेणी-वार तथा टाइप-वार मकानों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्रम सं॰	वर्ष	टाइप I	II	III	IV	V
1.	1991-92	174	336	22	256	21
2.	1992-93	245	776	852	134	24
3.	1993-94	450	1000	972	124	29
4.	1994-95	256	40	349	112	28
5.	1995-96	92	128	128	112	-

पात्रता:

टाइप I—	वेतन प्रति माह रु॰ 950/- से कम
टाइप II —	वेतन प्रति माह रु॰ 950/- से 1499/- के बीच
टाइप III —	वेतन प्रति माह रु॰ 1500/- से 2799/- के बीच
टाइप IV—	वेतन प्रति माह रु॰ 2800/- से 3599/ के बीच
टाइप V—(डी-II)	वेतन प्रति माह रु॰ 3600/- से 4499/- के बीच